"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2008—आश्विन 25, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर.

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.—श्री प्रसन्ना आर., भा. प्र. से. (2004), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जगदलपुर (बस्तर) की सेवायें सहकारिता विभाग को सौंपते हुये, उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अतिरिक्त प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. उक्त पद पर श्री प्रसन्ना आर. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम-9 के तहत अतिरिक्त प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. श्रीमती आर. संगीता, भा. प्र. से. (2005), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा, जिला-कोरबा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर (जगदलपुर) के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2008

क्रमांक ई-7/15/2003/1/2.—श्री आर. पी. जैन, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को दिनांक 20-10-2008 से 01-11-2008 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 18 एवं 19 अक्टूबर, 2008 तथा 02-11-2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जैन आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री जैन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2008

क्रमांक ई-7/45/2004/1/2.—श्री एम. के. पिंगुआ, भा. प्र. से. को दिनांक 26-04-2008 से 09-05-2008 तक (14 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10 एवं 11 मई, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री पिंगुआ को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पिंगुआ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

4. श्री पिंगुआ को दिनांक 25-04-2008 को एक दिवस का पदग्रहण काल अवधि स्वीकृत किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2008

क्रमांक ई-7/33/2004/1/2.—श्री एम. आर. ठाकुर, भा. प्र. से., संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर को दिनांक 10-06-2008 से 14-07-2008 तक (35 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ठाकुर आगामी आदेश तक संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री ठाकुर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2008

क्रमांक ई-7/33/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23-04-2008 के द्वारा श्री एम. आर. ठाकुर, भा. प्र. से., संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर को दिनांक 07-04-2008 से 03-05-2008 तक (27 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी के अनुक्रम में श्री ठाकुर को दिनांक 04-05-2008 से 31-05-2008 तक (28 दिवस) का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 01-06-2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2008

क्रमांक ई-7/1/2003/1/2.—श्रीमती निधि छिब्बर, भा. प्र. से., आयुक्त, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 03-10-2008 से 10-10-2008 तक (08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 02, 11 एवं 12 अक्टूबर, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती छिब्बर आगामी आदेश तक आयुक्त, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगी

3. अवकाश काल में श्रीमती छिब्बर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती छिब्बर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

5. श्रीमती छिब्बर के उक्त अवकाश अवधि में श्री एल. एस. मरावी, अपर संचालक, लोक शिक्षण छ. ग., रायपुर अपने वर्तमान कार्यों के साथ-साथ आयुक्त, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर का चालू कार्य भी सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2008

क्रमांक ई-7/44/2004/1/2.—श्री विकास शील, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 03-10-2008 से 10-10-2008 तक (08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 02, 11 एवं 12 अक्टूबर, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री शील आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री शील को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शील अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शहला निगार, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2008

क्रमांक 1874/803/2008/1-8/स्था.—श्रीमती विभा चौधरी, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 04-10-2008 से 10-10-2008 तक 7 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्रीमती विभा चौधरी के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री विजय कुमार सिंह, अवर सचिव, छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ उनका कार्य भी देखेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्रीमती विभा चौधरी को अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विभा चौधरी अवकाश पर नहीं जातीं तो अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2008

क्रमांक ई-7/56/2004/1/2.—श्री जी. एस. धनंजय, भा. प्र. से., संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 03-10-2008 से 10-10-2008 तक (08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 02, 11 एवं 12 अक्टूबर, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री धनंजय आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री धनंजय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धनंजय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2008

क्रमांक ई-7/16/2007/1/2.—श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन सम्पर्क, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 03-10-2008 से 10-10-2008 तक (08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उन्हें उनके स्वयं के व्यय पर विदेश (मस्कट) जाने की अनुमति दी जाती है. साथ ही दिनांक 02, 11 एवं 12 अक्टूबर, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुमार आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन सम्पर्क, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2008

क्रमांक 1156/795/2008/1-8/स्था.—श्री यूनुस अली (भा. व. से.), विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 08-09-2008 से 04-10-2008 तक 27 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री यूनुस अली को विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अली अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षेत्र सिंह, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2008

क्रमांक 1158/787/2008/1-8/स्था.—श्री जे. एस. दीक्षित, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 8-08-2008 से 20-08-2008 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दीक्षित को उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीक्षित अवकाश पर नहीं जाते तो उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2008

क्रमांक 1164/794/2008/1-8/स्था.—श्रीमती कर्मेला लकड़ा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अर्जित अवकाश	26-5-2008 से 31-5-2008	06 दिवस
अर्जित अवकाश	21-7-2008 से 26-7-2008	06 दिवस
लघुकृत अवकाश	27-7-2008 से 8-8-2008	13 दिवस

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती कर्मेला लकड़ा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कर्मेला लकड़ा अवकाश पर नहीं जातीं तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2008

क्रमांक 1166/702/2008/1-8/स्था.—श्री प्रशांत लाल, शोध अधिकारी, तेरहवां वित्त आयोग सेल, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 11-8-2008 से 14-8-2008 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत लाल को शोध अधिकारी, तेरहवां वित्त आयोग सेल, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत लाल अवकाश पर नहीं जाते तो तेरहवां वित्त आयोग सेल, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2008

क्रमांक 1168/800/2008/1-8/स्था.—श्री एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 7-8-2008 से 23-8-2008 तक 17 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल. पी. दाण्डे अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2008

क्रमांक-एफ 2-2/16/2007.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 9 की उपधारा (1) सहपठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्र. 14 सन् 1947) की धारा 7अ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री गिरीश चंद्र बाजपेयी, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (प्रवर श्रेणी) को छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक की अवधि के लिए नियुक्त करता है.

No.-F 2-2/16/2007.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960) read with sub-section (2) of Section 7A of the Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947) the State Government hereby, appoints Shri Girish Chandra Bajpai, Retired District Judge (Super time Scale) as Presiding Officer of the Industrial Court and Industrial Tribunal with effect from the date he assumes the charge of the office until he attains the age of 65 years.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2008

क्रमांक एफ-9-3/2002/16.—श्री जी. सी. बाजपेयी, सेवानिवृत्त (स्वैच्छिक) जिला एवं सत्र न्यायाधीश को विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 2-2/16/2007, दिनांक 05-01-2008 द्वारा अध्यक्ष राज्य औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़ के पद पर उनकी 65 वर्ष आयु पूर्ण होने की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है.

श्री जी. सी. बाजपेयी, अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय को उक्त पद पर कार्य करने के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष वेतन का नियमन नियमानुसार किया जाकर उक्त वेतन से पेंशन की राशि कम की जाएगी.

यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक सी-18560/ब-1/4/2008 दिनांक 12-3-2008 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी किया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. सरोज, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 1-13/2008/16.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14 सन् 1947) की धारा 7 तथा धारा 33-बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक F 1-18/16/2005 रायपुर, दिनांक 27-10-2005 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा :—

(अ) उक्त अधिनियम के अधीन द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित किसी भी विषय से संबंधित औद्योगिक विवादों का न्याय निर्णय करने तथा ऐसे कृत्यों को जो उन्हें सौंपे जायें, पालन करने के लिये नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित श्रम न्यायालयों का गठन करता है तथा उक्त सारणी के कॉलम (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित व्यक्तियों को उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में पूर्वाक्षेपी प्रभाव से उनके द्वारा संबंधित श्रम न्यायालयों का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :—

सारणी

अ. क्र. (1)	नाम श्रम न्यायालय (2)	पीठासीन अधिकारी का नाम (3)
01.	श्रम न्यायालय, राजनांदगांव	श्री अरूण कुमार चौकसे
02.	श्रम न्यायालय, दुर्ग	श्रीमती शशि सोनी

(ब) उक्त एक्ट के अधीन समस्त कार्यवाहियां जो पूर्व की अधिसूचनाओं के अधीन संबंधित स्थानों पर गठित श्रम न्यायालयों के समक्ष लंबित थी, उक्त श्रम न्यायालयों से प्रत्याहरित करता है और उन्हें वर्तमान अधिसूचना के अधीन गठित तत्स्थानीय श्रम न्यायालयों को अंतरित करता है और आदेश देता है कि वे श्रम न्यायालय जिनकी कार्यवाहियां उक्त प्रकार से अंतरित की गई, उक्त कार्यवाहियों को उस प्रक्रम से आगे चलायेंगे, जिस पर कि वे उक्त प्रकार से अंतरित हुई है.

No. F 1-13/2008/16.—In exercise of the powers conferred by Section 7 and Section 33-B of the Industrial Disputes Act. 1947 (14 of 1947) and making partial amendment in the notification No. F 1-18/16/2005 Raipur, dated 27-10-2005 issued in this behalf of the State Government hereby:—

(A) Constitutes the Labour Courts specified in column (2) of Table below for the adjudication of Industrial Disputes relating to any matter specified in the second schedule and for performing such other functions as may be assigned to them under the said Act, and appoints the persons specified in the corresponding entry in column (3) of the said table as the Presiding Officers of the said Courts with retrospective effect from the [illegible]

of taking over charge by them of the Labour Court concerned :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Labour Court (2)	Name of Presiding Officer (3)
01.	Labour Court, Rajnandgaon	Shri Arun Kumar Chouksey
02.	Labour Court, Durg	Smt. Shashi Soni

(B) Withdraws all proceedings under the said Act pending before the Labour Court constituted under previous Notification at the place concerned and transfers them to the corresponding Labour Courts constituted under the present Notification and direct that the Labour Court to which proceedings are transferred shall proceed with them from the stage at which they are transferred.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग लाल, उप-सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2008

क्रमांक/4966/कृ. प्र./2001/14-2.—कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 5 में वर्णित कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिये कीटनाशी अधिनियम, 1968 (केन्द्रीय अधिनियम क्र. 46 सन् 1968) की धारा-19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, उप संचालक कृषि राज्य कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशाला, ग्राम-ठेलकाडीह, जिला-राजनांदगांव, जो कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 21 में निर्धारित आवश्यक योग्यता रखते हों, को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित समस्त कीटनाशियों के नमूनों के विश्लेषण करने हेतु कीटनाशी विश्लेषक के रूप में अधिसूचित करती है.

S. No. 4966/Ag. cell/2001/14-2.—In exercise of the powers conferred by section 19 of the insecticide Act. 1968 (Central Act No. 46 of 1968), to carry out the duties as stated in Rule 5 of insecticide Rules, 1971, the State Government hereby appoints the Deputy Director of Agriculture, State Pesticide Testing Laboratory, Village-Thelkadih, District-Rajnandgaon, who possesses the essential qualification as stated in rule 21 of insecticide Rules, 1971, as specified in schedule of the Act, the insecticide Analysis for whole state of Chhattisgarh for analysis of samples of all insecticide included in the schedule of said Act.

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2008

क्रमांक/5054/एफ-14/34/2007/14-2.—चूंकि इस विभाग का समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 जून, 2008 के अधीन राज्य सरकार ने मनेन्द्रगढ़ मण्डी के क्षेत्र (भरतपुर) तहसील क्षेत्र को सम्मिलित करने के फलस्वरूप मण्डी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन किया है

और चूंकि छ. ग. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 72 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा

अपेक्षित है कि परिवर्तित क्षेत्र के लिये मण्डी समिति का गठन किया जाय :—

अतएव छ. ग. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 72 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा :—

(1) विद्यमान कृषि उपज मण्डी समिति मनेन्द्रगढ़ को विघटित करती है, और

(2) यह निर्देश देती है कि, प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य कृषि विपणन मण्डी बोर्ड, कृषि उपज मण्डी मनेन्द्रगढ़ के परिवर्तित क्षेत्र के लिये उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत भारसाधक अधिकारी नियुक्त करेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2008

क्रमांक 1270/30/1/सं./2008.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित साहित्यकारों/कलाकारों को उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई अवधि तथा दर से प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

क्र. (1)	नाम और पता (2)	प्रतिमाह (3)	अवधि (4)
1.	श्री मनमोहन कुर्मी/आ. श्री फिरतू कुर्मी, मु. पौना, पो. तागा, तह. जांजगीर, जि. जांजगीर-चांपा.	1500/-	1 सितम्बर 2008 से आजीवन पेंशन देय होगा.
2.	श्री विजयशंकर सतपंथी/आ. स्व. श्री बृजमोहन सतपंथी, नावापारा (अ), पोस्ट बड़ेहरदी, थाना पुसौर, जिला रायगढ़.	1500/-	1 सितम्बर 2008 से नियमानुसार पेंशन देय होगा.
3.	श्री संत मानिक दास/आ. श्री मुन्ना लाल, ग्राम/पो. डुमरडीह खुर्द, तह./जिला राजनांदगांव.	1500/-	1 सितम्बर 2008 से नियमानुसार पेंशन देय होगा.
4.	श्री घनाराम सूर्यवंशी, ग्राम फरहद, पो. सोमनी, राजनांदगांव	1500/-	1 सितम्बर 2008 से नियमानुसार पेंशन देय होगा.
5.	श्री संतूराम जोशी, ग्राम कंकरेल, तहसील/जिला राजनांदगांव	1500/-	1 सितम्बर 2008 से नियमानुसार पेंशन देय होगा.
6.	श्री मुन्नालाल लहरे, ग्राम/पो. डुमरी खुर्द, तह./जि. राजनांदगांव	1500/-	1 सितम्बर 2008 से आजीवन पेंशन देय होगा.
7.	श्री डेरहाराम लहरे, ग्राम/पो. डुमरी खुर्द, तह./जि. राजनांदगांव	1500/-	1 सितम्बर 2008 से नियमानुसार पेंशन देय होगा.
8.	श्री चतुराम राउत, ग्राम/पो. मतवारी, तह./जिला दुर्ग	1500/-	1 सितम्बर 2008 से आजीवन पेंशन देय होगा.

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	श्री दुखवाराम खुटेल, ग्राम हनोदा, तह./जिला दुर्ग	1500/-	1 सितम्बर 2008 से आजीवन पेंशन देय होगा.
10.	श्री परदेशीराम बेलचंदन, गोड़पारा, चंडी मंदिर के पास, वार्ड नं. 5, जिला दुर्ग.	1500/-	1 सितम्बर 2008 से आजीवन पेंशन देय होगा.
11.	श्री निजामुद्दीन तिगाला, ग्राम लाटाबोड, तह. बालोद, जिला दुर्ग.	1500/-	1 सितम्बर 2008 से नियमानुसार पेंशन देय होगा.
12.	डॉ. हरिदास वर्मा, म. नं. 560 पांच मंदिर रोड गुरुनानक नगर सुपेला भिलाई, जिला दुर्ग.	1500/-	1 सितम्बर 2008 से आजीवन पेंशन देय होगा.
13.	श्री गणेशराम वर्मा, ग्राम/पो. मेड़ेसरा, तह. धमधा, जिला दुर्ग	1500/-	1 सितम्बर 2008 से आजीवन पेंशन देय होगा.
14.	श्री रामेश्वर पाण्डेय, मु. पो. शिवरीनारायण तह. नवागढ़, जिला जांजगीर-चांपा.	1500/-	1 सितम्बर 2008 से आजीवन पेंशन देय होगा.
15.	श्रीमती इंदरौतिन बाई पति स्व. पचकौड़ राम, ग्राम डुमरडीह खुर्द, तह./जि. राजनांदगांव.	1500/-	1 सितम्बर 2008 से नियमानुसार पेंशन देय होगा.
16.	श्री सुखीराम निषाद, कंडरापारा, वार्ड क्र. 09, छुईखदान, जिला राजनांदगांव.	1500/-	1 सितम्बर 2008 से आजीवन पेंशन देय होगा.
17.	श्री फगुवाराम यादव, ग्राम भवंरमरा, पो. सिंघोला, तह./जि.-राजनांदगांव.	1500/-	1 सितम्बर 2008 से नियमानुसार पेंशन देय होगा.
18.	श्री अगनूराम, ग्राम गैंदाटोला, वि. ख. छुरिया, तह. डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव.	1500/-	1 सितम्बर 2008 से आजीवन पेंशन देय होगा.
19.	श्री गोवर्धन यादव, ग्राम रिंगनी, पो. नारधा, विकासखंड धमधा, जिला दुर्ग.	1500/-	1 सितम्बर 2008 से आजीवन पेंशन देय होगा.
20.	श्री नत्थूदादा रामटेके, (दो फुट के फिल्म स्टार) ग्राम-रामपुर, पो. जंगलपुर, वि. खं. डोंगरगांव, राजनांदगांव.	1500/-	1 सितम्बर 2008 से नियमानुसार पेंशन देय होगा.
21.	श्री कृष्ण कुमार पालिया, शीतला पारा, वार्ड नं. 18, नवापारा राजिम, जिला रायपुर.	1500/-	1 सितम्बर 2008 से आजीवन पेंशन देय होगा.
22.	श्री जगत राम साहू, ग्राम गिरोला, थाना अभनपुर, जिला रायपुर	1500/-	1 सितम्बर 2008 से नियमानुसार पेंशन देय होगा.
23.	श्याम दुलारी साहू, स्व. श्री कुमार साहू, 'स्पंदन' 2/717 गीता नगर, चौबे कालोनी, रायपुर.	1500/-	1 सितम्बर 2008 से नियमानुसार पेंशन देय होगा.

(1)	(2)	(3)	(4)
24.	ईला दत्ता, 75/5, मैत्रीनगर, रिसाली भिलाई, जिला दुर्ग	1500/-	1 सितम्बर 2008 से नियमानुसार पेंशन देय होगा.
25.	श्री गयादास साहू, ग्राम/पो. भोलापुर, तह./जिला राजनांदगांव	1500/-	1 सितम्बर 2008 से आजीवन पेंशन देय होगा.

उक्त आर्थिक सहायता पर होने वाला व्यय मांग संख्या 26 मुख्य लेखा शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा 05 भाषा विकास 102 आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन 285 अर्थाभावग्रस्त ख्याति प्राप्त साहित्यकारों/कलाकारों को वित्तीय सहायता 14 सहायक अनुदान 011 वैयक्तिक अनुदान आयोजनेत्तर मद वर्ष 2008-09 के बजट से विकलनीय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तपेश चंद्र गुप्ता, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 23 सितम्बर 2008

क्रमांक/155/क/अ.वि.अ./भू. अ./11 अ-82 वर्ष 2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	डोगरीपाली प. ह. नं. 25	0.28	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	लाथनाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 16 सितम्बर 2008

भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 8 /अ-82/2007 08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	बरमकेला	पिक्रीमाल प. ह. नं. 40	0.313	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग (सेतु निर्माण), रायगढ़.	खैरगढ़ी देवगांव मार्ग के कि. मी. 4/8 पर किंकरी नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 सितम्बर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 9 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	बरमकेला	खैरगढ़ी प. ह. नं. 40	0.860	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग (सेतु निर्माण), रायगढ़.	खैरगढ़ी देवगांव मार्ग के कि. मी. 4/8 पर किंकरी नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 सितम्बर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	कपिस्दा प. ह. नं. 15	1.661	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	कपिस्दा सोनाडूला मार्ग के कि. मी. 1/10 पर लात नाला पर सेतु पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2008

प्र. क्र. 09/अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	दर्रा प. ह. नं. 10	9/2	0.624	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	ठाकुरदिया जलाशय योजना डुब में ली गई भूमि.
			9/3	0.121		
			10/2, 11/2	0.404		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			10/4 11/4	0.283		
			10/1 11/1	0.057		
			10/3 11/3	0.616		
			16	0.279		
			67, 70	0.700		
			68, 69	1.105		
			157/2	0.178		
			87, 86	0.247		
			71/2 151/2	0.283		
			71/4	0.032		
			383/7	0.607		
			383/8	0.607		
			383/9	0.809		
			383/10	0.405		
			383/11	0.405		
			68 69 1	0.141		
			68 69 3	0.057		
			157/1	0.842		
			157/3	0.178		
		योग	22	8.980		

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2008

प्र. क्र. 31 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा एकड़ में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	टुण्डरा प. ह. नं. 19	1/1 ख	0.52	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	शाखा क्र. 4 के गिधौरी माइनर नहर निर्माण कार्य.
			1/1 घ	0.21		
			1/1 ग	0.24		
			1/1 ञ	0.09		
			63	0.23		
			63/3877	0.05		
			68/1	0.22		
			68/2	0.16		
			69	0.20		
		योग	**9**	**1.92**		

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2008

प्र. क्र. 32 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	टुण्डरा प. ह. नं. 19	261	0.134	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	शाखा क्र. 4 के नहर निर्माण कार्य.
			265	0.032		
			250/2.3	0.160		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			246/2	0.045		
			244/2	0.069		
		योग	5	0.440		

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2008

प्र. क्र. 33 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा एकड़ में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	बरपाली प. ह. नं. 17	339	0.39	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	शाखा क्र. 4 के गिधौरी माइनर नहर निर्माण कार्य.
			364	1.00		
			397	0.82		
			341	0.18		
			402/1, 437/1	0.17		
			342/1	0.20		
			398/1	0.12		
			399/1	0.21		
			399/3	0.05		
			399/4	0.06		
			400/1	0.37		
			415/2	0.10		
			419/4	0.07		
			400/2	0.33		
			401	0.85		
			402/2, 437/2	0.20		
			402/3, 437/3	0.15		
			402/4, 437/4	0.05		
			402/5, 437/5	0.19		
			403/3	0.08		
			404	0.24		
			406/1	0.18		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			414/3	0.06		
			409/3	0.22		
			410/3	0.04		
			410/6	0.04		
			413/2	0.14		
			418	0.14		
			419/5	0.18		
			435	0.10		
			436	0.08		
			413/3	0.13		
		योग	32	7.14		

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2008

प्र. क्र. 34 अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	गदहाभाठा प. ह. नं. 14	544	0.122	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक मुख्य नहर निर्माण कार्य.
			260/4	0.016		
			260/5	0.020		
			260/6	0.024		
			260/8	0.008		
		योग	5	0.190		

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2008

प्र. क्र. 35 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	नगरदा प. ह. नं. 05	2356/1	0.065	कार्यपालन, अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	शाखा क्र. 14 के नहर निर्माण कार्य.
			2357/1	0.097		
		योग	2	0.162		

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2008

प्र. क्र. 37 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	गिरवानी प. ह. नं. 13	378	0.036	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	शाखा क्र. 21 के नहर निर्माण कार्य अनुपूरक.
			380/4	0.032		
			391/1	0.012		
			381	0.022		
			391/2	0.033		
			423/2	0.020		
			393	0.012		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			808/4	0.028		
			798/1	0.020		
			812/6	0.081		
			407	0.032		
			396/1	0.056		
			396/2	0.018		
			824	0.012		
			825/1	0.008		
			823/2	0.004		
			823/1	0.004		
			954/11	0.004		
			954/8	0.008		
			808/5	0.044		
			406	0.016		
			808/6	0.049		
			422	0.008		
			379/1	0.016		
			380/8	0.020		
			382/1	0.044		
			394	0.043		
		योग	27	0.682		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2008

रा. प्र. क्र. 7/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-विंध्यासर, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.17 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
305/1 ग	0.83
304	0.66
11	0.23
12/1	0.08
12/4	0.04
12/2	0.04
12/3	0.08
13	0.20
811	0.11
812/1	0.16
14	0.16
16	0.40
299	0.30
10	0.10
23	0.12
25	0.11
27	0.16
124	0.20

(1)	(2)
126	0.28
148	0.03
806	0.10
787/5	0.18
787/6	0.35
789/3	0.20
786/1	0.05
786/2	0.03
776/4	0.40
789/1	0.20
789/4	0.02
790	0.12
789/2	0.20
796	0.18
797	0.17
798	0.10
799	0.08
761	0.08
805	0.31
821/1	0.15
801	0.04
853	0.02
861	0.09
862	0.06
863	1.02
864/1	0.49
864/2	0.25
878	0.40
883/1	0.92
887	0.40
888	1.02
889	0.02
890	0.65
893/1	0.04
894/1	0.38
893/2	0.06
894/2	0.10
योग 55	13.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिंध्यासर व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2008

रा. प्र. क्र. 8/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-बिलासपुर
   (ख) तहसील-तखतपुर
   (ग) नगर/ग्राम-अरईबंद, प. ह. नं. 15
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.56 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
43/1	0.56
योग 1	0.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नर्मदा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 अगस्त 2008

रा. प्र. क्र. 10/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 18[illegible] (संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बिनौरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.17 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	111/1, 111/4, 111/6, 111/7	0.17
योग	1	0.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिंध्यासर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 26 सितम्बर 2008

क्रमांक/5089/भू-अर्जन/क/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-कुआकोण्डा
- (ग) नगर/ग्राम-किरन्दुल, प. ह. नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.817 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	180/2	0.405
	258/2	0.202
	258/1	0.433
	255/1	0.052
	287	0.325
	257/2	0.142
	259/2	0.162
	180/1	0.136
	283	0.665
	288	2.295
योग		4.817

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मे. एस्सार स्टील लिमि., किरंदुल के द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग फार्म ओर स्टोरेज यार्ड एवं ग्रीन बेल्ट के विकास हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2008

भू-अर्जन प्र. क्र. 31 अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पचरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.048 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
475	0.048
योग	0.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जोंक मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 12 सितम्बर 2008

प्र. क्र. 22/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-गौरमाटी, प. ह. नं. 65
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.094 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
762/2	0.146
763/1	0.036
763/2	0.099
764	0.047
816/1	0.161
816/2	0.257
816/3	0.139
812/9	0.099
812/4	0.073
826	0.080
812/10	0.058
827/3	0.037
827/8	0.117
827/2	0.024
829/2	0.128
829/3	0.016
830/3	0.220
830/4	0.045
812/2	0.312
योग 19	2.094

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कुबिया व्यपवर्तन नहर निर्माण में.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 12 सितम्बर 2008

प्र. क्र. 24/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स/लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-रेंगई, प. ह. नं. 52
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.850 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
33	1.850
योग 1	1.850

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सारी जलाशय डूबान में अर्जित शेष भूमि का पूरक अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 12 सितम्बर 2008

प्र. क्र. 25/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स/लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-कुटकीपारा, प. ह. नं. 52
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.610 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1	0.190
2/2	0.190
03	0.376
04	0.376
07	0.756
08	0.722
योग 6	2.610

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-किनारीटोला जलाशय डूबान में अर्जित शेष भूमि का पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमलसिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2008

क्रमांक/9629/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-विक्रमपुर, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.39 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
366/21	0.05
544	0.02
548	0.10
554/2	0.14
660	0.13

(1)	(2)
666/3	0.05
676/3	0.11
366/22	0.10
546	0.11
556	0.06
552/1	0.07
665	0.31
669/1	0.14
545/2	0.04
562	0.01
555	0.10
553	0.15
666/2	0.09
676/1	0.14
545/5	0.06
547	0.03
550/2	0.01
659/2	0.10
668	0.14
676/2	0.13
योग	2.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -गंजीगंजा जलाशय अंतर्गत लघु नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2008

क्रमांक/9630/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-मारूटोला खुर्द, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.91 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
123	0.06
125/3	0.05
152/3	0.02
163/1	0.20
164	0.20
124	0.02
125/4	0.17
152/4	0.15
156/2	0.02
180/1	0.14
125/1	0.06
126	0.05
153/2	0.11
163/3	0.03
181/1	0.14
125/2	0.05
152/2	0.19
156/1	0.18
163/2	0.07
योग	1.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -गंजीगंजा जलाशय अंतर्गत लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2008

क्रमांक/9632/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-शेरगढ़, प. ह. नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.239 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
102	0.048
103/1	0.061
103/2	0.004
104	0.097
105/1	0.012
107/1	0.033
107/2	0.113
111	0.037
110	0.085
113/1	0.052
115	0.182
116	0.210
117	0.049
120	0.004
121	0.109
122/1	0.028
122/2	0.028
122/3	0.087
योग 18	1.239

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शेरगढ़ बपरा मार्ग पर आमनेर नदी पर पुलमय पहुंचमार्ग.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी, कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 29 सितम्बर 2008

क्रमांक/9973/अधीक्षक/2008.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/7481/अधीक्षक/2008 कोरबा, दिनांक 17-7-2008 द्वारा जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टरों के मध्य कार्यबंटन/कार्य विभाजन आदेश जारी किया गया है. उक्त कार्यबंटन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री आर. एक्का (रा. प्र. से.) अपर कलेक्टर, कोरबा को सत्कार अधिकारी के प्रभार से मुक्त कर श्री एस. आर. कुर्रे डिप्टी कलेक्टर, कोरबा को सत्कार अधिकारी का प्रभार दिया जाता है. शेष प्रभार कार्यबंटन आदेश अनुसार यथावत् रहेगी. यह आदेश तत्काल प्रभाव शील होगा.

ए. के. अग्रवाल,
कलेक्टर.

छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, बीज भवन, छत्तीसगढ़ होटल के सामने, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2008

क्रमांक/बी-4/1/126/08-09/3876.—छ. ग. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, आर. के. सिंह, प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर, एतद्द्वारा छ. ग. शासन कृषि विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक/5054/एफ-14/34/2007/14-2 रायपुर, दिनांक 24-09-2008 द्वारा विघटित कृषि उपज मण्डी समिति, मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया के लिये श्री एस. पी. सिंह, अनुविभागीय अधिकारी, कृषि मनेन्द्रगढ़ जिला-कोरिया को आगामी आदेश तक की कालावधि के लिये भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं.

आर. के. सिंह,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), ज़िला-बस्तर

जगदलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2008

क्र./1473/भू-अ/स. अ. भू-अ. 2/हल्का पुनर्ग./2008.—छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील जगदलपुर के दो ग्राम पंचायत पर एक पटवारी हल्कों को पुनर्गठन सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.मं.	प.ह.न. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4	5	6
1	जगदलपुर	जगदलपुर अ	कालीपुर 1	कालीपुर	कालीपुर
2				तितिरगांव	तितिरगांव
			योग –	2	
3			घाटपदमूर 2	घाटपदमूर	घाटपदमूर
4				कुम्हरावंड	पल्ली
5				पल्ली	पल्ली
			योग –	3	
6			कंगोली 3	कंगोली	नगर निगम
7				धरमपुरा	नगर निगम
			योग –	2	
8			आसना 4	आसना	आसना
9				तामाकोनी	आसना
10				कोहकापाल	आसना
11				बालीकोंटा	बालीकोंटा
12				कोंडावल	बालीकोंटा
			योग –	5	
13			जगदलपुर दे. 5	जगदलपुर दे.	न.नि.
14				अघनपुर	न.नि.
15				पखनागुड़ा	न.नि.
			योग –	3	

16			धुरगुड़ा 6	धुरगुडा	धुरगुड़ा
17				गरावंडकला	धुरगुड़ा
18				तुर्नेनार	तुर्नेनार
19				भाटागुडा	तुर्नेनार
			योग –	4	
20			कलचा 7	कलचा	कलचा
21				कुम्हरावंड	कलचा
22				गरावंडखुर्द	गरावंडखुर्द
23				नेगीगुडा	गरावंडखुर्द
24				मोरठपल्ली	गरावंडखुर्द
			योग –	5	
25			कुरंदी 8	कुरंदी	कुरंदी
26				बाबूसेमरा	बाबूसेमरा
27				हाटपहरीसेमरा	बाबूसेमरा
28				तेलीसेमरा	बाबूसेमरा
29				बुरंदवाड़ासेमरा	बाबूसेमरा
			योग –	5	
30			आड़ावाल 9	आड़ावाल	आड़ावाल
31				कुसुमपाल	आड़ावाल
32				नकटीसेमरा	आड़ावाल
33				बिलोरी	बिलोरी
34				करकापाल	बिलोरी
35				चितापदर	बिलोरी
			योग –	6	
36			हल्बाकचोरा 10	हल्बाकचोरा	हल्बाकचोरा
37				मंगडूकचोरा	हल्बाकचोरा
38				शासनकचोरा	हल्बाकचोरा
			योग –	3	

39			फेजरपुर 11	फेजरपुर	नगर निगम
40				सरगीपाल	सरगीपाल
41				हाटकचोरा	नगर निगम
			योग –	3	
42			पंडरीपानी 12	पंडरीपानी	पंडरीपानी
43				बिरिगपाल	बिरिगपाल
			योग –	2	
44			परपा 13	परपा	परपा
45				तुसेल	तुसेल
46				कोरपाल	तुसेल
			योग –	3	
47			नियानार 14	नियानार	नियानार
48				जाटम	जाटम
49				डोंगाम	जाटम
			योग –	3	
50			जामावाड़ा 15	जामावाड़ा	जामावाड़ा
51				छोटेबादाम	जामावाड़ा
52				बड़ेबादाम	जामावाड़ा
53				बिरनपाल	बिरनपाल
54				टोंडापाल	बिरनपाल
55				नवागुडा	बिरनपाल
			योग –	6	
56			साड़गुड़ 16	साड़गुड़	साड़गुड़
57				कुलगांव	साड़गुड़
58				उलनार	उलनार
59				चिलकुहटी	उलनार
			योग –	4	
60			पुसपाल 17	पुसपाल	पुसपाल
61				जोजल	पुसपाल
62				धनियालूर	धनियालूर
			योग –	3	

63			हाटपदमूर 18	हाटपदमूर	हाटपदमूर
64				सिड़गुड़	हाटपदमूर
65				कैकाचेरबहार	कैकागढ़
66				कैकागढ़	कैकागढ़
67				बेंगलूर	कैकागढ़
			योग –	5	
68			नानगुर 19	नानगुर	नानगुर
69				मांझीगुड़ा	मांझीगुड़ा
70				अलनार	मांझीगुड़ा
			योग –	3	
71			बड़ेमुरमा 20	बड़ेमुरमा	बड़ेमुरमा
72				छोटेमुरमा	बड़ेमुरमा
73				छोटेबोदल	बड़ेमुरमा
74				काकरवाड़ा	काकरवाड़ा
75				बड़ेबोदल	काकरवाड़ा
			योग –	5	
76			बड़ेकवाली 21	बड़ेकवाली	बड़ेकवाली
77				पराली	बड़ेकवाली
78				छोटेकवाली	छोटेकवाली
79				चचालगुर	छोटेकवाली
80				पोटियापाल	छोटेकवाली
			योग –	5	
81			नेतानार 22	नेतानार	नेतानार
82				गुड़िया	नेतानार
83				चितलगुर	नेतानार
84				तामरवाड़ा वि.ग्रा.	नेतानार
85				कोलावाड़ा	कोलावाड़ा
86				मिलकुलवाड़ा	कोलावाड़ा
87				नागलसर	कोलावाड़ा
88				सुरूंदवाड़ा व.ग्रा.	कोलावाड़ा
89				चामपाल वि.ग्रा.	कोलावाड़ा
90				कुदुरवाड़ा वि.ग्रा.	कोलावाड़ा
			योग –	10	

91			कावापाल 23	कावापाल	कावापाल
92				आलुकर	कावापाल
93				कालागुड़ा	कावापाल
94				गुमलवाड़ा	कावापाल
95				तिरिया वनग्राम	कावापाल
96				पुलचा वनग्राम	कावापाल
97				तोलावाड़ा व.ग्र.	कावापाल
98				करकागुड़ा वि.ग्रा.	कावापाल
99				गाड़ाघाट वि.ग्रा.	कावापाल
100				चोररास वि.ग्रा.	कावापाल
			योग –	10	
101		जगदलपुर ब	मारकेल 24	मारकेल	मारकेल
102				कुम्हली	कुम्हली
103				जीरागांव	कुम्हली
104				बागराउर	कुम्हली
105				खम्हारगांव	खम्हरगांव
106				कोपागुड़ा	खम्हारगांव
107				खुटपदर	खम्हारगांव
			योग –	7	
108			माड़पाल 25	माड़पाल	माड़पाल
109				करनपुर	करनपुर
110				रामपाल	करनपुर
111				भालूगुड़ा	करनपुर
			योग –	4	
112			आमागुड़ा 26	आमागुड़ा	आमागुड़ा
113				मंगनपुर	आमागुड़ा
114				बम्हनी	बम्हनी
			योग –	5	
115			नगरनार 27	नगरनार	नगरनार
116				उपनपाल	उपनपाल
117				बीजापुर	उपनपाल
			योग –	3	

118			धनपुंजी 28	धनपुंजी	धनपुंजी
119				भेजापदर	भेजापदर
			योग –	2	
120			चोकावाड़ा 29	चोकावाड़ा	चोकावाड़ा
121				कस्तुरी	कस्तुरी
122				माचकोट (व. ग्रा.)	चोकावाड़ा
123				केराझोड़ी	चोकावाड़ा
124				खिड़रवाड़	चोकावाड़ा
			योग –	5	

राजस्व ग्राम –119 , वन ग्राम –05 , कुल –124 ग्राम

पंचायत – 52

एम. एस. परस्ते,
कलेक्टर.

जगदलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2008

क्र./1473/भू-अ/स. अ. भू-अ. 2/हल्का पुनर्ग./2008.—छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील बस्तर के दो ग्राम पंचायत पर एक पटवारी हल्कों को पुनर्गठन सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.मं.	प.ह.न. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4	5	6
1	बस्तर	भानपुरी	सालेमेटा 1	सालेमेटा	सालेमेटा
2				छुरावण्ड	सालेमेटा
3				खड़का	सालेमेटा
4				पखनाकोंगेरा	पखनाकोंगेरा
5				कोटगढ़	पखनाकोंगेरा
			योग—	5	
6			सोरगांव 2	सोरगांव	सोरगांव
7				जामगांव	जामगांव
			योग—	2	
8			तुरपुरा 3	तुरपुरा	तुरपुरा
9.				पल्लीभाटा	तुरपुरा.
10				खण्डसरा	खण्डसरा
			योग—	3	
11			केशरपाल 4	केशरपाल	केशरपाल
12				नहरनी	केशरपाल
13				कुम्हली	कुम्हली
			योग—	3	
14			भानपुरी 5	भानपुरी	भानपुरी
15				मुरकुची	मुरकुची
16				विश्रामपुरी	विश्रामपुरी
			योग—	3	
17			नंदपुरा 6	नंदपुरा	नंदपुरा
18				बनियागांव	बनियागांव
			योग—	2	
19			चपका 7	चपका	चपका
20				फाफनी	फाफनी
21				तारागांव	फाफनी
22				मुंजला	फाफनी
			योग—	4	

23			करंदोला 8	करंदोला	करंदोला
24				बोड़नपाल	बोड़नपाल
25				बेसोली	बोड़नपाल
			योग—	3	
26			सोनारपाल 9	सोनारपाल	सोनारपाल
27				देवड़ा	देवड़ा
			योग—	2	
28			सिवनी 10	सिवनी	सिवनी
29				बड़ेअलनार	बड़ेअलनार
30				छोटेअलनार	बड़ेअलनार
			योग—	3	
31			चमिया 11	चमिया	चमिया
32				छोटेआमाबाल	चमिया
33				बड़ेआमाबाल	बड़ेआमाबाल
			योग—	3	
34			मुण्डागांव 12	मुण्डागांव	मुण्डागांव
35				कोहकासिवनी	मुण्डागांव
36				मावलीगुड़ा (वि)	मुण्डागांव
37				राजपुर	राजपुर
			योग—	4	
38			कुंगारपाल 13	कुंगारपाल	कुंगारपाल
39				गुमगा	कुंगारपाल
40				बाकेल	बाकेल
			योग—	3	
41			मांदलापाल 14	मांदलापाल	मांदलापाल
42				चेराकुर	चेराकुर
			योग—	2	
43			कावड़गांव 15	कावड़गांव	कावड़गांव
44				गुरिया	गुरिया
45				जाटनपाल	गुरिया
			योग—	3	
46			गोड़ियापाल 16	गोड़ियापाल	गोड़ियापाल
47				पाथरी	पाथरी
			योग—	2	
48			घोटिया 17	घोटिया	घोटिया
49				गुनपुर	गुनपुर
50				अलवाही	गुनपुर
			योग—	3	

51			कुरुषपाल 18	कुरुषपाल	कुरुषपाल
52				तिरथा	कुरुषपाल
53				पश्चिम टेमरा	कुरुषपाल
54				पूर्वी अेमरा	कुरुषपाल
55				सुधापाल	सुधापाल
			योग–	5	
56			नारायणपाल 19	नारायणपाल	नारायणपाल
57				रतेंगा	रतेंगा
			योग–	2	
58		बस्तर	भैसगांव 20	भैसगांव	भैसगांव
59				सौंरापाल	भैसगांव
60				बोदरा	बोदरा
			योग –	3	
61			बडेचकवा 21	बडेचकवा	बडेचकवा
62				नदीसागर	नदीसागर
63				पराली	नदीसागर
			योग –	3	
64			बोडनपाल 22	बोडनपाल	बोडनपाल
65				पल्लीचकवा	बोडनपाल
66				झारतरई	झारतरई
			योग –	3	
67			मघोता 23	मघोता	मघोता
68				रोतमा	रोतमा
69				चितलवार	रोतमा
70				खोटलापाल	रोतमा
			योग –	4	
71			लामकेर 24	लामकेर	लामकेर
72				उसरी	उसरी
73				टिकनपाल	उसरी
			योग –	3	
74			बालेंगा 25	बालेंगा	बालेंगा
75				सालेमेटा	सालेमेटा
			योग –	2	
76		बस्तर	भोन्ड 26	भोन्ड	भोन्ड
77				आडावाल	आडावाल
78				भरनी	आडावाल
79				नारायणपाल	आडावाल
			योग –	4	

80		बस्तर	पिपलावण्ड 27	बागमोहलई	बागमोहलई
81				पिपलावंड़	पिपलावंड
82				सितलावंड	पिपलावंड
			योग–	3	
83			इच्छापुर 28	इच्छापुर	इच्छापुर
84				तालुर	तालुर
			योग –	2	
85			खोरखोसा 29	खोरखोसा	खोरखोसा
86				मावलीगुडा	मावलीगुडा
			योग –	2	
87			दुबेउमरगांव 30	दुबेउमरगांव	दुबेउमरगांव
88				गुफनी	दुबेउमरगांव
89				रेटावंड	रेटावंड
			योग –	3	
90			बस्तर 31	बस्तर	बस्तर
91				सेमलनार	सेमलनार
92				बेसरापाल	सेमलनार
			योग –	3	
93			महुपालबरई 32	महुपालबरई	महुपालबरई
94				परचनपाल	महुपालबरई
95				बांगापाल	महुपालबरई
96				भाटपाल	भाटपाल
97				टाकरागुडा	भाटपाल
98				भुरसुन्डी	भाटपाल
			योग –	6	
99			कोलचूर 33	कोलचूर	कोलचूर
100				घाटकवाली	घाटकवाली
101				मुंडापाल	घाटकवाली
			योग –	3	
102			चोकर 34	चोकर	चोकर
103				महुपालबारी	चोकर
104				करमरी	करमरी
105				मरलेंगा	करमरी
			योग –	4	
106			घाटलोंहगा 35	घाटलोंहगा	घाटलोंहगा
107				चिडईपदर	घाटलोंहगा
108				कुदालगांव	कुदालगांव
			योग –	3	

109			कुड़कानार 36	टिकरालोंहगा	टिकरालोंहगा
110				कुडकानार	कुडकानार
111				कबिआसना	कुडकानार
112				किंजोलीपाल	कुडकानार
			योग --	4	

राजस्व ग्राम --112 ,वन ग्राम --00 कुल --112 ग्राम

कुल पंचायत --73

एम. एस. परस्ते,
कलेक्टर.

जगदलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2008

क्र./1473/भू-अ/स. अ. भू-अ. 2/हल्का पुनर्ग./2008.—छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील बकावण्ड के दो ग्राम पंचायत पर एक पटवारी हल्कां को पुनर्गठन सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.मं.	प.ह.न. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4	5	6
1	[illegible]ण्ड	करपावंड	कोलावल 1	कोलावल	कोलावल
2				पा[illegible]	पाथरी
3				[illegible]डा	पाथरी
4				[illegible]माली वन ग्राम	पाथरी
5				भिरण्डा वन ग्राम	पाथरी
6				सोखागांव वन ग्राम	पाथरी
7				मालामुण्डा वन ग्राम	पाथरी
		योग—	योग—	7	
8			गारेगा 2	गारेगा	गारेगा
9				बडेजिराखाल	गारेगा
10				टेम्पलकोमार	गारेगा
11				सतोषा	सतोषा
12				मोहलई वनग्राम	मोहलई
13				चारगांव वनग्राम	चारगांव
14				लावागांव वनग्राम	चारगांव
15				बोरीगांव वनग्राम	चारगांव
16				बनकोमार वनग्राम	बनकोमार
17				तोरका वनग्राम	बनकोमार
			योग—	10	
18			जैबेल 3	जैबेल	जैबेल
19				डिमरापाल	डिमरापाल
			योग—	2	
20			मरेठा 4	मरेठा	मरेठा
21				फरसरा	फरसरा
22				छोटे जिराखाल	फरसरा
			योग—	3	

23			छिंदगांव 5	छिंदगांव	छिंदगांव
24				चोकनार	चोकनार
25				बंगलाडोंगरी वन ग्राम	चोकनार
			योग—	3	
26			चिउरगांव 6	चिउरगांव	चिउरगांव
27				बागराय वनग्राम	चिउरगांव
28				सुवाचोण्ड	सुवाचोण्ड
			योग—	3	
29			सौंरा 7	सौंरा	सौंरा
30				तोगकोगेरा	तोंगकोगेरा
31				आमादुला	तोंगकोगेरा
			योग—	3	
32			करपावंड 8	करपावंड	करपावंड
33				घनपुर	घनपुर
			योग—	2	
34			संघकरमरी 9	पोटियावंड	पोटियावंड
35				घनसरा उर्फ सोड़करमरी वन ग्राम	
36				सानदेवडा	पोटियावंड
37				टुहटीदेवडा	पोटियावंड
38				संघकरमरी	संघकरमरी
			योग —	5	
39			पाहुरबेल 10	बदलावंड	बदलावंड
40				डुरकाबेडा	बदलावंड
41				गिरोला	बदलावंड
42				पाहुरबेल	पाहुरबेल
			योग —	4	
43			जैतगिरी 11	जैतगिरी	जैतगिरी
44				सोनपुर	सोनपुर
45				बनियागांव	सोनपुर
			योग —	3	
46			बडेदेवडा 12	सौतपुर	सौतपुर
47				बडेदेवडा	बडेदेवडा
48				नरावंड	सौतपुर
			योग —	3	

49		बकावंड	मंगनार 13	मंगनार	मंगनार
50				मटनार	मटनार
51				बेडागांव	मटनार
			योग–	3	
52			बोरीगांव 14	बोरीगांव	बोरीगांव
53				करंजी	बोरीगांव
54				बेलपुटी	बेलपुटी
55				खेटलापाल	बेलपुटी
			योग–	4	
56			सतलावंड 15	सतलावंड	सतलावंड
57				छिनारी	छिनारी
			योग–	2	
58			मूली 16	मूली	मूली
59				चापापदर	मूली
60				चिखलकरमरी	मूली
61				बारदा	बारदा
			योग–	4	
62			किंजोली 17	किंजोली	किंजोली
63				कुम्हरावंड	कुम्हरावंड
			योग–	2	
64			पंडानार 18	पंडानार	पंडानार
65				नेगानार	पंडानार
66				मोहलई	मोहलई
67				रामपाल	मोहलई
			योग–	4	
68			मोंगरापाल 19	मोंगरापाल	मोंगरापाल
69				चोलनार	चोलनार
			योग–	2	
70			कचनार 20	कचनार	कचनार
71				भिरलिंगा	कचनार
72				बोरपदर	बोरपदर
			योग–	3	
73			बेडाउमरगांव 21	बेडाउमरगांव	बेडाउमरगांव
74				झारउमरगांव	झारउमरगांव
75				ढोढरेपाल	झारउमरगांव
76				मेटावाडा	झारउमरगांव
			योग–	4	

77			छोटे देवडा 22	छोटे देवडा	छोटे देवडा
78				सरगीपाल	सरगीपाल
79				मरागांव	सरगीपाल
			योग–	3	
80			राजनगर 23	राजनगर	राजनगर
81				भेजरीपदर	भेजरीपदर
82				दशापाल	भेजरीपदर
			योग–	3	
83			बकावंड 24	बकावंड	बकावंड
84				कौडावंड	कौडावंड
			योग–	2	
85			फरसीगांव 25	फरसीगांव	फरसीगांव
86				सिमोडा	फरसीगांव
87				उडियापाल	उडियापाल
			योग–	3	
88			कोसमी 26	कोसमी	कोसमी
89				दाबगुडा	कोसमी
90				कोरटा	कोरटा
91				तुंगापाल	कोरटा
			योग–	4	
92			बजावंड 27	बजावंड	बजावंड
93				नलपावंड	नलपावंड
94				पीठापुर	नलपावंड
			गोग–	3	
95			उलनार 28	उलनार	उलनार
96				पाइकपाल	उलनार
97				करीतगांव	करीतगांव
98				जुनावानी	करीतगांव
			योग–	4	
99			तारापुर 29	तारापुर	तारापुर
100				टलनार	टलनार
			योग–	2	

101			बनियागांव 30	बनियागांव	बनियागांव
102				बेलगांव	बनियागांव
103				चितालूर	चितालूर
104				बालपुटी	चितालूर
			योग–	4	
105			गुम्डेल 31	गुम्डेल	गुम्डेल
106				कोरपाल	गुम्डेल
107				कानापाल	गुम्डेल
108				कुरूषपाल	गुम्डेल
109				कोहकापाल	कोहकापाल
110				सुकरापाल चि वि.ग्राम	कोहकापाल
			योग–	6	
111			मालगांव 32	मालगांव	मालगांव
112				घोबीगुडा	घोबीगुडा
113				इरीकपाल	घोबीगुडा
114				कोलचुर वि.ग्राम	घोबीगुडा
			योग–	4	

राजस्व ग्राम –101 , वनग्राम –13 कुल – 114 ग्राम

कुल पंचायत –67

एम. एस. परस्ते,
कलेक्टर.

जगदलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2008

क्र./1473/भू-अ/स. अ. भू-अ. 2/हल्का पुनर्ग./2008.—छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील लोहण्डीगुड़ा के दो ग्राम पंचायत पर एक पटवारी हल्कों को पुनर्गठन सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.मं.	प.ह.न. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4	5	6
1	लोहण्डीगुड़ा	चित्रकोट	हर्राकोडेर 1	हर्राकोडेर	हर्राकोडेर
2				पिचीकोडेर	हर्राकोडेर
3				एरपुन्ड	एरपुन्ड
4				मालेवाही	एरपुन्ड
5				पुसपाल ए	एरपुन्ड
6				बोदेली	एरपुन्ड
7				कहचेनार	एरपुन्ड
8				सालेपाल	एरपुन्ड
9				टेटम	एरपुन्ड
10				पावेल वन ग्राम	एरपुन्ड
11				हितामेटा वि.ग्राम	
12				पण्डानार –,,–	
13				तुमसकोण्टा –,,–	
14				तिरिया –,,–	
			योग –	14	
15			चंदेला 2	चंदेला	चंदेला
16				अमलीधार	चंदेला
17				कोडेनार	चंदेला
18				धर्माबेड़ा	चंदेला
19				ककनार	ककनार
20				महिमा	ककनार
21				पालम	ककनार
22				पुसपाल चि.	ककनार
			योग –	8	

23			बिन्ता 3	बिन्ता	बिन्ता
24				मुझेर वि.	बिन्ता
25				सतसपुर	सतसपुर
26				रायगोंदी	सतसपुर
27				सुलेंगा	सतसपुर
			योग —	5	
28			करेकोट 4	भेजा	भेजा
29				कोरली	भेजा
30				करेकोट	करेकोट
			योग —	3	
31			मारडूम 5	मारडूम	मारडूम
32				कस्तुरपाल	कस्तुरपाल
33				एरवार	कस्तुरपाल
34				लिमउपदर	कस्तुरपाल
			योग —	4	
35			बदरेंगा 6	बदरेंगा	बदरेंगा
36				हाथीदरहा	बदरेंगा
37				मारीकोडेर	मारीकोडेर
38				मारेंगा	मारीकोडेर
			योग—	4	
39			मटनार 7	मटनार	मटनार
40				मेंदरी	मटनार
41				करकागुड़ा	मटनार
42				कुथर	कुथर
43				छोटेगुमियापाल	कुथर
			योग —	5	
44			आंजर 8	आंजर	आंजर
45				एरमूर	एरमूर
			योग—	2	
46			तोयर 9	तोयर	तोयर
47				बड़ेगुमियापाल	तोयर
48				सिलकझोड़ी	तोयर
49				सुरगुड़ा	सुरगुड़ा
50				सुरगुड़ा बोदेनार	सुरगुड़ा

51			गड़दा 10	गड़दा	गड़दा
52				आदवाल	गड़दा
53				बरछेपाल	गड़दा
54				अलनार	अलनार
			योग –	5	
55			मांदर–11	मांदर	मांदर
56				नेगानार	नेगानार
57				इरीकपाल	नेगानार
			योग –	3	
58			चित्रकोट 12	चित्रकोट	चित्रकोट
59				पारापुर	पारापुर
			योग–	2	
60			बड़ेधाराउर 13	उसरीबेड़ा	उसरीबेड़ा
61				चंदनपुर	उसरीबेड़ा
62				कोरेबेड़ा	उसरीबेड़ा
63				बड़ेधाराउर	बड़ेधाराउर
64				लोहण्डीगुड़ा वि.ग्रा.	बड़ेधाराउर
65				बेनीधाराउर	बड़ेधाराउर
			योग –	6	
66			छिंदगांव 14	धुरागांव	धुरागांव
67				छिन्दगांव	छिन्दगांव
			योग –	2	
68			बड़ांजी 11	बडांजी	बडांजी
69				कुमली	कुमली
			योग –	2	
70			टाकरागुड़ा 16	बेलर	बेलर
71				टाकरागुड़ा	टाकरागुड़ा
			योग–	2	
72			छाबपाल 17	दाबपाल	दाबपाल
73				कोठियागुड़ा	दाबपाल
74				बाघनपाल	बाघनपाल
75				एरण्डवाल	बाघनपाल
76				तुर्रेमरका	बाघनपाल
			योग –	5	

77			गढ़िया 18	गढ़िया	गढ़िया
78				बेलियापाल विग्रा.	गढ़िया
79				छोटेपरोदा	छोटेपरोदा
80				बड़ेपरोदा	छोटेपरोदा
81				चालकीगुड़ा	छोटेपरोदा
			योग –	5	
82			तारागांव 19	तारागांव	तारागांव
83				छिंदबहार	छिंदबहार
84				करकापाल	छिंदबहार
			योग –	3	
85			मिचनार 20	मिचनार	मिचनार
86				साडरा	साडरा
87				लखईबेड़ा	साडरा

राजस्व ग्राम –82,वन ग्राम –05 कुल – 87 ग्राम

पंचायत – 40

एम. एस. परस्ते,
कलेक्टर.

जगदलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2008

क्र./1473/भू-अ/स. अ. भू-अ. 2/हल्का पुनर्ग./2008.—छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील बास्तानार के दो ग्राम पंचायत पर एक पटवारी हल्कों को पुनर्गठन सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.मं.	प.ह.न. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4	5	6
1	बास्तानार	बास्तानार	मुतनपाल 1	मुतनपाल	मुतनपाल
2				बुरगुम	बुरगुम
3				नाकटोका	बुरगुम
4				सांवगेल	बुरगुम
5				तितरी	बुरगुम
			योग —	5	
6			लालागुड़ा 2	लालागुड़ा	लालागुड़ा
7				सरगीगुड़ा	लालागुड़ा
8				तूरांगूर	तुरांगूर
9				पिरमेटा	तुरांगूर
			योग —	4	
10			जामगांव 3	जामगांव	जामगांव
11				विरगाली	जामगांव
12				बोरजा	जामगांव
13				ढोकम	जामगांव
14				पुंसेम	जामगांव
			योग —	5	
15			बगमुण्डीपनेड़ा 4	बगमुण्डीपनेड़ा	बगमुण्डीपनेड़ा
16				कोरगाली	बगमुण्डीपनेड़ा
17				कोंडोली	कोण्डोली
18				बहनकर	कोण्डोली
			योग —	4	

19			बास्तानार 5	बास्तानार	बास्तानार
			योग –	1	
20			इरपा 6	इरपा	इरपा
21				पारलमेटा	इरपा
22				बड़ेबोदेनार	बड़ेबोदेनार
			योग –	3	
23			बड़ेकिलेपाल 7	बड़ेकिलेपाल	बड़ेकिलेपाल
			योग –	1	
24			बड़ेकाकलूर 8	बड़ेकाकलूर	बड़ेकाकलूर
25				कापानार	कापानार
26				तोयनार	कापानार
			योग –	3	
27			कुम्हारसाडरा 9	कुम्हारसाडरा	कुम्हारसाडरा
28				साडराबोदेनार	साडराबोदेनार
29				पालानार	साडराबोदेनार
			योग –	3	
30			छोटेकिलेपाल 10	छोटेकिलेपाल	छोटेकिलेपाल
31				छोटेबोदेनार	छोटेकिलेपाल
32				कावानार	छोटेकिलेपाल
33				आदवाल	छोटेकिलेपाल
34				भोसरीरास	छोटेकिलेपाल
35				गोरियापाल	छोटेकिलेपाल
			योग –	6	
36			कोड़ेनार 11	कोड़ेनार	कोड़ेनार
37				टंगियाझोड़ी	तिरथूम
38				बरकोटा	तिरथूम
39				तिरथूम	तिरथूम
40				सिलकझोड़ी	तिरथूम
41				छोटेकाकलूर	तिरथूम
42				मांझीभाटा	तिरथूम
			योग –	7	

राजस्व ग्राम –42, वन ग्राम –00 कुल ग्राम –42

कुल पंचायत – 18

एम. एस. परस्ते,
कलेक्टर.

जगदलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2008

क्र./1473/भू-अ/स. अ. भू-अ. 2/हल्का पुनर्ग./2008.—छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील तोकापाल के दो ग्राम पंचायत पर एक पटवारी हल्कों को पुनर्गठन सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.मं.	प.ह.न. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4	5	6
1	तोकापाल	केशलूर	घाटधनोरा 1	घाटधनोरा	घाटधनोरा
2				टिकराधनोरा	घाटधनोरा
3				घाटसरगीपाल	घाटधनोरा
4				मरकापाल	घाटधनोरा
5				कोण्डालूर	कोण्डालूर
6				छिन्दबहार	कोण्डालूर
7				तोतर	कोण्डालूर
			योग —	7	
8			छापरभानपुरी 2	छापरभानपुरी	छापरभानपुरी
9				सिंगनपुर	सिंगनपुर
10				सोनारपाल	सिंगनपुर
11				चोण्डीमेटावाड़ा	सिंगनपुर
12				तारागांव	सिंगनपुर
			योग —	5	
13			साकरगांव 3	साकरगांव	साकरगांव
14				बुरजी	साकरगांव
15				सिरिसगुड़ा	सिरिसगुड़ा।
			योग --	3	
16			रानसरगीपाल 4	रानसरगीपाल	रानसरगीपाल
17				टांहकापाल	टांहकापाल
18				टाण्डपाल	टांहकापाल
19				गुमियापाल	टांहकापाल
			योग —	4	
20			पोटानार 5	पोटानार	पोटानार
21				देउरगांव	देउरगांव
22				कोहकापाल	देउरगांव
			योग —	3	

23			करंजी 6	करंजी	करंजी
24				टेकामेटा	टेकामेटा
25				धरमाउर	टेकामेटा
			योग –	3	
26			भड़ीसगांव 7	भड़ीसगांव	भड़ीसगांव
27				बड़ेमोरठपाल	बड़ेमोरठपाल
28				छोटेमोरठपाल	बड़ेमोरठपाल
			योग –	3	
29			पलवा 8	पलवा	पलवा
30				नवागांव	पलवा
31				बाघनपाल	पलवा
32				कुरेंगा	कुरेंगा
			योग –	4	
33			बड़ेमारेंगा 9	बड़ेमारेंगा	बड़ेमारेंगा
34				तेलीमारेंगा	बड़ेमारेंगा
35				गुडरामारेंगा	बड़ेमारेंगा
36				डिमरापाल	डिमरापाल
			योग –	4	
37			केशलुर 10	केशलूर	केशलूर
38				सोसनपाल	केशलूर
39				कानाकुरूषपाल	केशलूर
40				कलेपाल	कलेपाल
41				बुरूंगपाल	कलेपाल
42				डोंगरीगुड़ा	कलेपाल
			योग –	6	
43			बड़ेपाराकोट 11	बड़ेपाराकोट	बड़ेपाराकोट
44				छोटेपाराकोट	बड़ेपाराकोट
45				इरीकपाल	बड़ेपाराकोटा
46				तोकापाल	तोकापाल
47				मेटावाड़ा	तोकापाल
			योग –	5	
48			बड़ेआरापुर 12	बड़ेआरापुर	बड़ेआरापुर
49				तेलगाआरापुर	बड़ेआरापुर
50				एर्राकोट	एर्राकोट
51				भेजरीपदर	एर्राकोट
			योग –	4	
52			सालेपाल 13	सालेपाल	सालेपाल
53				मटकोट	मटकोट
54				नैनमूर	मटकोट
			योग –	3	

55			बारूपाटा 14	बारूपाटा	बारूपाटा
56				कलेपाल	बारूपाटा
57				नैननार	नैननार
58				कामदेव कुरूषपाल	नैननार
			योग –	4	
59			मावलीभाठा 15	मावलीभाटा	मावलीभाठा
60				मंडवा	मावलीभाठा
61				पथ्थरली उर्फ उड़वा	मावलीभाठा
62				बुरूंगपाल	बुरूंगपाल
63				गाटम	बुरूंगपाल
64				गुर्राम	बुरूंगपाल
			योग –	6	
65			रायकोट 16	रायकोट	रायकोट
66				एरण्डवाल	एरण्डवाल
67				दुगनपाल	एरण्डवाल
			योग –	3	
68			राजूर 17	राजूर	राजूर
69				कोयपाल	राजूर
70				परपा	परपा
			योग –	3	

राजस्व ग्राम –70 , वनग्राम –00 कुलग्राम –70

कुल पंचायत–34

एम. एस. परस्ते,
कलेक्टर.

जगदलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2008

क्र./1473/भू-अ/स. अ. भू-अ. 2/हल्का पुनर्ग./2008.—छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील दरभा के दो ग्राम पंचायत पर एक पटवारी हल्कों को पुनर्गठन सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क.	तहसील का नाम	रा.नि.मं.	प.ह.न. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4	5	6
1	दरभा	दरभा	डिलमिली 1	डिलमिली	डिलमिली
2				काटाकांदा	
			योग —	2	
3			अलवा 2	अलवा	अलवा
4				ढोडरेपाल	ढोडरेपाल
5				छोटेगुडरा	ढोडरेपाल
			योग —	3	
6			चितापुर 3	चितापुर	चितापुर
7				बड़ेकड़मा	बड़ेकड़मा
8				छोटेकड़मा	बड़ेकड़मा
			योग —	3	
9			नेंगानार 4	नेंगानार	नेंगानार
10				मंगनार	नेंगानार
11				चिड़पाल	चिड़पाल
12				मादरकोंटा	चिड़पाल
			योग —	4	
13			लेण्ड्रा 5	कोयनार	कोयनार
14				लेण्ड्रा	लेण्ड्रा
15				सेवड़ा	लेण्ड्रा
			योग —	3	

16			छिन्दबहार 6	छिन्दबहार	छिन्दबहार
17				ककनार	ककनार
18				माहकापाल	ककनार
		योग –		3	
19			चिंगपाल 7	चिंगपाल	चिंगपाल
20				गाड़मगुड़ा	चिंगपाल
21				केशापुर	केशापुर
			योग –	3	
22			कामानार 8	कामानार	कामानार
23				पेदावाड़ा	कामानार
24				कोटमसर वनग्राम	कामानार
25				मांझीपाल	कामानार
26				मावलीपदर	मावलीपदर
27				टोपर	मावलीपदर
28				चन्द्रपाल विरान	मावलीपदर
			योग –	7	
29			मामड़पाल 9	मामड़पाल	मामड़पाल
30				गुमड़पाल	मामड़पाल
31				भुनगा	मामड़पाल
32				कटेनार	कटेनार
33				भुसागुड़ा	कटेनार
34				टेमरूभाटा	कटेनार
			योग –	6	
35			केलाउर 10	केलाउर	केलाउर
36				नीलेगोदीबोदेनार	नीलेगोदीबोदेनार
37				गिदावारली	नीलेगोदीबोदेनार
			योग –.	3	
38			पखनार 11	पखनार	पखनार
39				तोयनार व.ग्रा.	पखनार
40				कलेपाल व.ग्रा.	पखनार
			योग –	3	

41			चन्द्रगिरी 12	चन्द्रगिरी	चन्द्रगिरी
42				बीसपुर वनग्रा.	बीसपुर
43				कोडरीछापर वनग्रा	
44				कुडुमखोदरा वनग्रा	
45				मुंदेनार वनग्रा.	
			योग –	5	
46			छिन्दावाड़ा 13	छिन्दावाड़ा	छिन्दावाड़ा
47				करका	छिन्दावाड़ा
48				कोन्डलूर	छिन्दावाड़ा
			योग –	3	
49			दरभा 14	दरभा	दरभा
50				ककालगूर	दरभा
51				तिरथगढ़	तिरथगढ़
			योग –	3	
52			टांहकवाड़ा 15	टांहकवाड़ा	टाहकावाड़ा
53				बेंगपाल वनग्रा.	टाहकावाड़ा
54				जूनापानी वनग्रा.	टाहकावाड़ा
55				कनकापाल	कनकापाल
56				ऐलंगनार	कनकापाल
			योग –	5	
57	58		कोलेंग 16	कोलेंग	कोलेंग
58				कांदानार	कोलेंग
59				छिन्दगुर	छिन्दगुर
60				मुण्डागढ़	छिन्दगुर
			योग –	4	
61			कोकावाड़ा 17	कोकावाड़ा	कोंकावाड़ा
62				जांगड़पाल	कोकावाड़ा
63				सौतनार	सौतनार
			योग –	3	
64			कोडरीपाल 18	कोडरीपाल	कोडरीपाल
65				इड़जेपाल	इड़जेपाल
66				गाड़मरास	इड़ज़ेपाल
			योग –	3	

67			कुकानार 19	कुकानार	कुकानार
68				छोटेगुरबे	कुकानार
69				बड़ेगुरबे	कुकानार
			योग –	3	

राजस्व ग्राम –60 , वनग्राम –09 कुल 69 ग्राम

कुल पंचायत –34

एम. एस. परस्ते,
कलेक्टर.

जगदलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2008

क्र./1473/भू-अ/स. अ. भू-अ. 2/हल्का पुनर्ग./2008.—छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील कोण्डागांव के दो ग्राम पंचायत प्र.एक पटवारी हल्कों को पुनर्गठन सूत्री में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.मं.	प.ह.न. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4	5	6
1	कोण्डागांव	कोण्डागांव	केजंग1	केजंग	केजंग
2				बड़को	केजंग
3				मूंगवाल	केजंग
4				रेंगागोदी	केजंग
5				नरिहा	नरिहा
6				मड़ानार	नरिहा
7				पेरमापाल	नरिहा
				योग—07	
8			बयानार 2	बयानार	बयानार
9				जोगीआलवाड़	बयानार
10.				कोरहोबेड़ा	बयानार
11				टेमरूगांव	टेमरूगांव
12				चेरंग	टेमरूगांव
				योग—05	
13			बांसगांव 3	बांसगांव	बांसगांव
14				तोड़म	बांसगांव
15				बावड़ी	बासगांव
16				मड़ागांव	बांसगांव
17				कोंगेरा	कोंगेरा
18				तुगाली	कोंगेरा
19				तेलंगा	कोंगेरा
				योग—07	

20			चोड़ेग 4	चोड़ेग	चोड़ेग
21				पाला	चोड़ेग
22				कोदागांव	चोड़ेग
23				चिमड़ी	चिमड़ी
24				चलका	चिमड़ी
				योग–05	
25			किवईबालेंगा 5	किवईबालेंगा	किवईबालेंगा
26				कोकोड़ी	किवईबालेंगा
27				वनजुगनी	वनजुगनी
28				कराढी आलवाड़	वनजुगनी
				योग–04	
29			बुनागांव 6	बुनागांव	बुनागांव
30				गुलमा	बुनागांव
31				मालाकोट	मालाकोट
				योग–03	
32			उमरगांव 7	उमरगांव (अ)	उमरगांव (अ)
33				वनसिरसी	उमरगांव (अ)
34				केंवटी	उमरगांव (अ)
35				दाढ़िया	उमरगांव (अ)
36				चिचडोंगरी	चिचडोंगरी
37				मथनीबेड़ा व.ग्रा.	चिचडोंगरी
38				कोटेलबेड़ा व.ग्रा.	चिचडोंगरी
39				सिरसीबेड़ा व.ग्रा.	चिचडोंगरी
				योग–08	
40			मसोरा 8	मसोरा	मसोरा
41				भीरागांव (ब)	भीरागांव (ब)
42				देवखरगांव	भीरागांव (ब)
				योग–03	
43			गिरोला नया 9	गिरोला	गिरोला
44				सातगांव	सातगांव
				योग–02	

45			पल्ली 10	पल्ली	पल्ली
46				भोगाड़ी	भोगाड़ी
47				सितली	भोगाड़ी
48				इन्दागांव	भोगाड़ी
				योग—04	
49			डोंगरीगुड़ा 11	डोंगरीगुड़ा	डोंगरीगुड़ा
50				चिलपुटी	चिलपुटी
				योग—02	
51			कोण्डागांव 12 'अ'	कोण्डागांव	नगर पंचायत
52				कुम्हारपारा	कुम्हारपारा
53				पलारी	पलारी
				योग—02	
54			कोण्डागांव 13 'ब'	सम्बलपुर	सम्बलपुर
55				चिखलपुटी	चिखलपुटी
56				चिंचपोलंग	चिखलपुटी
57				दूधगांव	चिखलपुटी
				योग—04	
58			कोकोड़ी 14	कोकोड़ी	कोकोड़ी
59				बोलबोला	बोलबोला
60				जरेबेंदरी	बोलबोला
61				छोटेबंगोड़ा	बोलबोला
				योग—04	
62			बफना 15	बफना	बफना
63				फरसगांव	बफना
64				भगदेवा	भगदेवा
				योग—03	
65			नयामुलमुला 16	मुलमुला	मुलमुला
66				मरवाखेड़ा व.ग्रा.	मुलमुला
67				नवेता	नवेता
				योग—03	
68			सिंगनपुर 17	सिंगनपुर	सिंगनपुर
69				डोंगरसिलाटी वन ग्राम	सिंगनपुर
70				फूकागिरोला	फूकागिरोला
71				बड़ेसिलाटी वन ग्राम	फूकागिरोला
				योग—04	

72			मालगांव 18	मालगांव	मालगांव
73				नीलजी	मालगांव
74				कतावण्ड	मालगांव
75				भीरागांव (अ)	भीरागांव (अ)
76				सीधावंड	भीरागांव (अ)
				योग–05	
77			चिपावंड 19	चिपावंड	चिपावंड
78				काकड़बेड़ा व.ग्रा.	चिपावंड
79				उमरगांव (ब)	उमरगांव (ब)
80				कुलझर	उमरगांव(ब)
				योग–04	
81			बड़ेबेंदरी 20	बड़ेबेन्दरी	बड़ेबेन्दरी
82				बड़ेभिरावंड	बड़ेभिरावंड
83				छोटेभिरावंड	बड़ेभिरावंड
84				लखनपुरी	बड़ेभिरावंड
				योग–04	
85			बड़ेकनेरा 21	बड़ेकनेरा	बड़ेकनेरा
86				कमेला	कमेला
				योग–02	
87			करंजी 22	करंजी	करंजी
88				बारवरा	बारवरा
				योग–02	
89			राजागांव 23	राजागांव	राजागांव
90				कुकाड़गारकापाल	कुकाड़गारकापाल
				योग–02	
91			दहिकोंगा 24	दहिकोंगा	दहिकोंगा
92				सुकूरपाल	सुकूरपाल
				योग–02	
93	कोण्डापाल	मर्दापाल	बनियागांव 25	बनियागांव	बनियागांव
94				कुसमा	कुसमा
95				कचोरा	कुसमा
				योग–03	

96			बम्हनी 26	बम्हनी	बम्हनी
97				कारसिंह (वन)	बम्हनी
98				इसलनार	इसलनार
99				धनसुली	इसलनार
100				चमई(वन.)	इसलनार
				योग–05	
101			सोनाबाल 27	सोनाबाल	सोनाबाल
102				मडानार	मडानार
103				नगरी	मडानार
				योग–03	
104			बड़ेबेंजोड़ा 28	बड़ेबेंजोड़ा	बड़ेबेंजोड़ा
105				बोटीकनेरा	बड़ेबेंजोड़ा
106				पुसावंड	पुसावंड
107				काकड़गांव व. ग्रा.	पुसावंड
				योग–04	
108			जोबा 29	जोबा	जोबा
109				बड़ेउसरी	जोबा
110				घोड़ागांव	घोड़ागांव
				योग–03	
111			माकड़ी 30	माकड़ी	माकड़ी
112				वनउसरी(वन)	माकड़ी
113				मोहलई	मोहलई
				योग–03	
114			मुनगापदर 31	मुनगापदर	मुनगापदर
115				मेड़पाल वन ग्राम	मुनगापदर
116				करनपुर	करनपुर
117				हिरामांदला व.ग्रा.	करनपुर
				योग–04	
118			गोलावंड 32	गोलावंड	गोलावंड
119				ढोलमेंदरी(वन)	गोलावंड
120				खचगांव	खचगांव
121				बालासार व.ग्रा.	खचगांव
122				बेंतबेड़ा व.ग्रा.	खचगांव
123				तातरी व.गा.	खचगांव
				योग–06	

124			बोरगांव 33	बोरगांव	बोरगांव
125				झारा	बोरगांव
126				खण्डाम	खण्डाम
127				पोलंग	खण्डाम
128				बोथा उर्फ करिया काटा	खण्डाम
129				मयूरडोंगरी वग्रा.	खण्डाम
				योग–08	
130			हंगवा 34	हंगवा(वन)	हंगवा
131				तोतर	हंगवा
132				आदनार	आदनार
133				आमगांव	आदनार
134				चेमा	आदनार
				योग–05	
135			लखापुरा 35	लखापूरी	लखापुरी
136				पदेली	लखापुरी
137				एहरा	लखापुरी
138				छोटेकोडेर	लखापुरी
139				गटनतरई(वन)	लखापुरी
140				छोटेउसरी	छोटेउसरी
141				मलनार	छोटेउसरी
142				नाहकानार	छोटेउसरी
143				टिमेनार	छोटेउसरी
144				कोहकाड़ी	छोटेउसरी
				योग–10	
145			मर्दापाल 36	मर्दापाल	मर्दापाल
146				चांगेर(वन)	मर्दापाल
147				नवागांव	नवागांव
148				मूलनार	नवागांव
149				खोड़सानार	नवागांव
				योग–05	

150			कड़ेनार 37	हड़ेली	हड़ेली
151				एहकली	हड़ेली
152				एरन्डवाल	हड़ेली
153				हान्दापाल	हड़ेली
154				मरकामपाल	हड़ेली
155				कड़ेनार	कड़ेनार
156				कोलम	कड़ेनार
157				बेचा	कड़ेनार
158				मंदोड़ा	कड़ेनार
				योग–09	
159			मटवाल 38	मटवाल	मटवाल
160				मंगवाल	मटवाल
161				टेकापाल	मटवाल
162				पुंगारपाल	मटवाल
163				मालम(विरान)	मटवाल
164				कुधूर	कुधूर
165				तुमड़ीवाल	कुधूर
166				राकसमेटा	कुधूर
				योग–08	
167			बड़ेकुरुषनार 39	बड़ेकुरूसनार	बड़ेकुरूसनार
168				छोटेकुरूसनार	बड़ेकुरूसनार
169				कांगा	कांगा
170				बादालूर	कांगा
171				मेंढ़पाल(वन)	कांगा
				योग –05	
172			हसलनार 40	हसलनार	हसलनार
173				पदनार	हसलनार
174				रानापाल	रानापाल
175				हदकली	रानापाल
176				हासेल	रानापाल
				योग–05	

177			पुसपाल 41	पुसपाल	पुसपाल
178				पोहमार	पुसपाल
179				जोड़ेगा	पुसपाल
180				खड़पड़ी	खड़पड़ी
181				कोरमेल	खड़पड़ी
182				परोदा	खड़पड़ी
183				आदपाल	खड़पड़ी
				योग–07	

राजस्व ग्राम –160 , वनग्राम –22 , विरान ग्राम –01 कुल ग्राम 183

कुल पंचायत – 82

एम. एस. परस्ते,
कलेक्टर.

जगदलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2008

क्र./1473/भू-अ/स. अ. भू-अ. 2/हल्का पुनर्ग./2008.—छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील फरसगांव के दो ग्राम पंचायत पर एक पटवारी हल्कों को पुनर्गठन सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.मं.	प.ह.न. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4	5	6
1	फरसगांव	फरसगांव	फुण्डेर 01	फुण्डेर	फुण्डेर
2				दावड़े	फुण्डेर
3				बड़ेओड़ागांव	बड़ेआड़गांव
4				बाड़ागांव	बड़ेआड़ागांव
				योग—04	
5			चनियागांव 02	चनियागांव	चनियागांव
6				देवगांव	देवगांव
7				जामगांव	देवगांव
				योग—03	
8			बंजोड़ा 03	बंजोड़ा	बंजोड़ा
9				छिंदलीबेड़ा	छिंदलीबेड़ा
10				गवाड़ी	छिंदलीबेड़ा
				योग—03	
11			हाटचपई 04	हाटचपई	हाटचपई
12				तोयापाल	हाटचपई
13				तुरकी	हाटचपई
14				बोकराबेड़ा	बोकराबेड़ा
15				छोटेओड़ागांव	बोकराबेड़ा
16				कोण्डापखना	बोकराबेड़ा
				योग—06	
17			कोनगुड़ 05	कोनगुड़	कोनगुड़
18				बड़गई	बड़गई
19				बारदा	बड़गई
20				मिसरी	बड़गई
				योग—04	

21			मोदे 06	मोदे	मोदे
22				मोदेबेड़मा	मोदे
23				कन्हारगांव	मोदे
24				कोकोड़ाजुगानार	कोकोड़ाजुगानार
25				परोदा	कोकोड़ाजुगानार
				योग—05	
26			उरंदाबेड़ा 07	उरंदाबेड़ा	उरंदाबेड़ा
27				नेट	उरंदाबेड़ा
28				मांदागांव	उरंदाबेड़ा
29				आमगांव	आमगांव
30				कुलानार	आमगांव
31				कोलेंगा	आमगांव
				योग—06	
32			कोटपाड़ 08	कोटपाड़	कोटपाड़
33				मड़कड़ा	कोटपाड़
34				गोड़मा	गोड़मा
35				तोरण्ड	गोड़मा
36				बोथा	गोड़मा
37				कोरई	गोड़मा
				योग—06	
38			पावड़ा 9	पावड़ा	पावड़ा
39				खण्डसरा	पावड़ा
40				भोगापाल	भोगापाल
41				आदवाल	भोगापाल
42				झाकरी	भोगापाल
				योग—05	
43			मैनपुर 10	मैनपुर	मैनपुर
44				फुटानचांदागांव	मैनपुर
45				गोहड़ा	गोहड़ा
46				फरसगांवकसई	गोहड़ा
47				आलमेर	गोहड़ा
				योग—05	

48			चिंगनार 11	चिंगनार	चिंगनार
49				रांधना	चिंगनार
50				मोड़ेगा	मोड़ेगा
51				केहलाकोट	मोड़ेगा
52				पलना	मोड़ेगा
				योग—05	
53			बंगोली 12	बंगोली	बंगोली
54				बनचपई	वनचपई
55				चियानार	वनचपई
56				सदाड़ी **(वन ग्राम)**	वनचपई
				योग—04	
57			बड़ेडोंगर 13	बड़ेडोंगर	बड़ेडोंगर
58				चांदाबेड़ा	चांदाबेड़ा
59				छिन्दली	चांदाबेड़ा
60				मोहपाल (वन ग्राम)	मोहपाल
61				ढिगानार (वन ग्राम)	मोहपाल
				योग—05	
62			आलोर 14	आलोर	आलोर
63				कोन्दाबेड़ा	आलोर
64				भण्डारवण्डी	भण्डारवण्डी
65				बैलगांव	भण्डारवण्डी
				योग—04	
66			मांझीआठगांव 15	मांझीआठगांव	मांझीआठगांव
67				चिचाड़ी	चिचाड़ी
68				पाटला	चिचाड़ी
				योग—03	
69			पासंगी 16	पासंगी	पासंगी
70				बानगांव	बानगांव
				योग—02	
71			फरसगांव 17	फरसगांव	फरसगांव
72				पतोड़ा	पतोड़ा
73				कोर्राबड़गांव	पतोड़ा
				योग—03	

74			पाण्डेआठगांव 18	पाण्डेआठगांव	पाण्डेआठगांव
75				गट्टीपलना	गट्टीपलना
76				जुगदई	गट्टीपलना
				योग—03	
77			बोरगांव 19	पु.बोरगांव	बोरगांव
78				पश्चिम बोरगांव	बोरगांव
79				बोरगांव (वनग्राम)	बोरगांव
80				सिंगारपुरी	सिंगारपुरी
81				चुरेगांव	सिंगारपुरी
				योग—05	
82			शंकरपुर 20	शंकरपुर	शंकरपुर
83				पैसरा	शंकरपुर
84				फुपगांव	फुपगांव
				योग—03	
85			भानपुरी 21	भानपुरी	भानपुरी
86				भुमका	भुमका
87				हिर्री	भुमका
				योग—03	
88			कुल्हाड़गांव 22	कुल्हाड़गांव	कुल्हाड़गांव
89				सारबेड़ा	कुल्हाड़गांव
90				जुगानीकलार	जुगानीकलार
				योग—03	
91			भण्डारसिवनी 23	भण्डारसिवनी	भण्डारसिवनी
92				चरकई	चरकई
93				चांदागांव	चरकई
94				मोहलई	माहलई
95				चांदाबेलगांव	माहलई
				योग—05	
96			लंजोड़ा 24	लंजोड़ा	लंजोड़ा
97				सिरपुर	सिरपुर
98				गुमड़ी	सिरपुर
				योग—03	

99			खोड़मा 25	सोड़मा	सोड़मा
100				कुम्हारबड़गांव	सोड़मा
101				सिरसीकलार	सिरसीकलार
102				कारागांव	सिरसीकलार
				योग—04	
103			जैतपुरी 26	जैतपुरी	जैतपुरी
104				कबोंगा	कबोंगा
105				कोसागांव	कबोंगा
				योग—03	

राजस्व ग्राम — 101, वनग्राम —04 कुल 105 ग्राम

कुल पंचायत —054

एम. एस. परस्ते,
कलेक्टर.

जगदलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2008

क्र./1473/भू-अ/स. अ. भू-अ. 2/हल्का पुनर्ग./2008.—छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील माकड़ी के दो ग्राम पंचायत पर एक पटवारी हल्कों को पुनर्गठन सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.मं.	प.ह.न. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4	5	6
1	माकड़ी	माकड़ी	बरकई 1	बरकई	बरकई
2				नलाझर	बरकई
3				सोनाबेड़ा	सोनाबेड़ा
				योग—03	
4			पुसापाल 2	पुसापाल	पुसापाल
5				कोटवेल	पुसापाल
6				गुहाबोरण्ड	गुहाबोरण्ड
7				देवडोंगर	गुहाबोरण्ड
				योग—04	
8			रांधना 3	रांधना	रांधना
9				देवहरदुली	रांधना
10				भीरागांव	भीरागांव
11				भाटगांव	भीरागांव
				योग—04	
12			तारगांव 4	कोसाहरदोली	कोसाहरदोली
13				तारगांव	कोसाहरदोली
14				गारे	गारे
15				उदेंगा	गारे
				योग—04	
16			उलेरा 5	उलेरा	उलेरा
17				बागबेड़ा	बागबेड़ा
18				खुड़ी	बागबेड़ा
				योग—03	
19			लुभा 6	लुभा	लुभा
20				तितना	लुभा

21				संडसा	लुभा
22				ठेमगांव	ठेमगांव
23				कोकोड़ी	ठेमगांव
				योग–05	
24			ओण्डरी 7	ओण्डरी	ओण्डरी
25				सोड़सिवनी	ओण्डरी
26				काटागांव	काटागांव
27				जड़कोंगा	काटागांव
				योग–04	
28			बालोण्ड 8	बालोण्ड	बालोण्ड
29				हुक्काबेड़ापाथरी	हुक्काबेड़ापाथरी
30				बीवला	हुक्काबेड़ापाथरी
				योग–03	
31			मांझीबोरण्ड 9	मांझीबोरण्ड	मांझीबोरण्ड
32				बाडरा	मांझीबोरण्ड
33				केरावाही	केरावाही
				योग–03	
34			शामपुर 10	शामपुर	शामपुर
35				मारागांव	मारागांव
				योग–02	
36			बवई 11	बवई	बवई
37				छोटेसलना	बवई
38				कावरा	कावरा
39				करमरी	कावरा
				योग–04	
40			बुडरा 12	बुडरा	बुडरा
41				टेडमुन्डा	बुडरा
42				लभा	लभा
43				दण्डवन	लभा
44				हाड़ीगांव	हाड़ीगांव
45				बड़गांव	हाड़ीगांव
				योग–06	
46			माकड़ी 13	माकड़ी	माकड़ी
47				भिरण्डा	माकड़ी

48				उमरगांव	उमरगांव
49				बेलगांव	उमरगांव
				योग—04	
50			मगेदा 14	मगेदा	मगेदा
51				भतवा	मगेदा
52				ओटेंडा	ओटेंडा
				योग—03	
53			जरण्डी 15	जरण्डी	जरण्डी
54				पीड़ापाल	पीड़पाल
55				अरंगुला	पीड़ापाल
				योग—03	
56			धारली 16	धारली	धारली
57				जोधरा (वन ग्राम)	धारली
58				उड़ीदगांव	इंगरा
59				इंगरा	इंगरा
				योग—04	
60			सोड़मा 17	सोड़मा	सोड़मा
61				सोहंगा	सोड़मा
62				कुरलूबहार	कुरलूबहार
63				मिरमिण्डा	कुरलूबहार
				योग—04	
64			हिरापुर 18	हिरापुर	हिरापुर
65				हिरावन्डी	हिरापुर
66				बेलोडी	बेलोडी
67				तोरेंगा	बेलोडी
68				बालेंगा (विरान)	बेलोडी
				योग—05	
69			एरला 29	तोरन्डी	एरला
70				राकसबेड़ा (विरान)	एरला
71				राकसबेड़ा (वनग्राम)	एरला
72				एरला	एरला
73				सिवनी	तोरन्डी
74				गुमड़ी	तोरन्डी
75				गागाड़ा (वनग्राम)	तोरन्डी

				योग—07	
76.			बीजापुर 20	बीजापुर	बीजापूर
77				हिरलाघाट	बीजापुर
78				करन्डी	करन्डी
79				तमरावंड (वनग्राम)	तमरावण्ड
80				देवगांव (वन ग्राम)	तमरावण्ड
81				अमरावती (वनग्राम)	अमरावती
82				बड़े अमरावती (विरान)	अमरावती
83				छोटे अमरावती	अमरावती
84				बेलगांव (वन ग्राम)	बेलगांव
85				देउरबाल (वनग्राम)	बेलगांव
86				तुमबेड़ा (वनग्राम)	बेलगांव
87				ओडरगांव (वनग्राम)	ओडारगांव
88				तरई बेड़ा (वनग्राम)	ओडारगांव
89				तुर्रेबेड़ा (वनग्राम)	ओडारगांव
				योग—14	
90			बड़ेघेड़सरा 21	बड़ेघेड़सरा	बड़ेघोड़सरा
91				छोटे घोड़सरा	बड़ेघोड़सरा
92				बिंजोली	बिंजोली
				योग—03	
93			अनंतपुर 22	अनंतपुर	अनंतपुर
94				बड़ेसोहगा	बड़ेसोहगा
95				बेड़ागांव	बड़ेसोहगा
96				छोटे सोहंगा	बड़ेसोहगा
				योग—04	
97			छिनारी 23	छिनारी	छिनारी
98				नेवरा (वन ग्राम)	छिनारी
99				छतौड़ी	छतौड़ी
100				किरमारी (वनग्राम)	छतौड़ी
				योग—04	

राजस्व ग्राम – 85 , वनग्राम– 14 कुल ग्राम – 299

पंचायत– 51

एम. एस. परस्ते,
कलेक्टर.

जगदलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2008

क्र./1473/भू-अ/स. अ. भू-अ. 2/हल्का पुनर्ग./2008.—छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील केशकाल के दो ग्राम पंचायत पर एक पटवारी हल्कों को पुनर्गठन सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.मं.	प.ह.न. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4	5	6
1	केशकाल	धनोरा	ईरागांव 1	ईरागांव	ईरागांव
2				उमला	ईरागांव
3				चुरेगांव	चुरेगांव
4				कावागांव	चुरेगांव
5				सवालवाही	चुरेगांव
6				डुण्डाबेडमा	चुरेगांव
				योग — 06	
7			बिन्झें 2	बिन्झें	बिन्झें
8				कानागांव	कानागांव
9				कोरगांव	कान[illegible]
10				कलेपाल	कलेपाल
11				पराली	कलेपाल
12				बुयकीजुंगानार	कलेपाल
				योग — 06	
13			बड़ेखौली 3	बड़ेखौली	बड़ेखौली
14				बिटालखौली	बड़ेखौली
15				पड़डे	बड़ेखौली
16				तोडासी	तोडासी
17				गददाड	तोडासी
				योग — 05	
18			करमरी 4	करमरी	करमरी
19				बेलगांव	करमरी
20				हिचका	हिचका
21				तिमडी	हिचका
22				कोटोडी	हिचका
				योग —05	
23			धनोरा 5	धनोरा	धनोरा
24				कर्रारमेटा	कर्रारमेटा
25				भाटगांव	धनोरा
26				कोरकोटी	कोरकोटी

27				हुडावा	कोरकोटी
28				बदवर	कोरकोटी
29				खालेबेदी	कोरकोटी
				योग – 07	
30			सवाला 6	सवाला	सवाला
31				बनियागांव	बनियागांव
32				सिलाटी	बनियागांव
				योग – 03	
33			कुए 7	कुए	कुए
34				भंडारपाल	कुए
35				मिडदे	कुए
36				माडगांव	कुए
37				कुमुड	कुए
38				कुदाडवाही	कुए
39				चेरबेड़ा	कुए
40				रावबेडा	रावबेडा
41				बेडमामारी	रावबेडा
42				उपरचंदेली	रावबेडा
43				उपरबेदी	रावबेडा
44				गिरगोली	रावबेडा
45				तुतारी	रावबेडा
46				बावनीमारी	रावबेडा
				योग –14	
47			होनहेड 8	होनहेड	होनहेड
48				कुपागोंदी	होनहेड
49				घोडाझर	होनहेड
50				सेन्दूरमेटा	होनहेड
51				खालेचंदेली	होनहेड
52				मातेंगा	होनहेड
53				उमरादाह	होनहेड
54				उपरमुरवेंड	होनहेड
				योग –08	
55	केशकाल	केशकाल	खालेमुरवेण्ड 9	खालेमुरवेण्ड	खालेमुरवेण्ड
56				ढोढरेपाल	खालेमुरवेण्ड
57				फरसगांव उर्फ मुरनार	खालेमुरवेण्ड
58				कुकडादाह	खालेमुरवेण्ड
59				चिपरेल	चिपरेल
60				माहुरबेडा	चिपरेल
61				दादरगढ़	चिपरेल

62				सालेभाट	सालेभाट
63				हरवेल	सालेभाट
				योग – 09	
64			सुरडोंगर 10	गौरगांव	गौरगांव
65				सुरडोंगर	सुरडोंगर
				योग– 02	
66			कोहकामेटा 11	कोहकामेटा	कोहकामेटा
67				नलाझर (वन ग्राम)	कोहकामेटा
68				सिदावण्ड	सिदावण्ड
69				मांझीचेर्रा	सिदावण्ड
70				हलिया	सिदावण्ड
				योग – 05	
71			अड़ेंगा 12	अड़ेंगा	अड़ेंगा
72				प्रधानचेर्रा	प्रधानचेर्रा
73				जरंडी	प्रधानचेर्रा
74				सिवनीपाल	प्रधानचेर्रा
				योग– 04	
75			जामगांव 13	जामगांव	जामगांव
76				कोदोभाट	कोदोभाट
77				ब्यालपुर	कोदोभाट
				योग – 03	
78			केशकाल 14	केशकाल	नगर पंचायत
79				गढ़सिलयारी	नगर पंचायत
80				बोरगांव	बोरगांव
				योग – 03	
81			बटराली 15	बटराली	बटराली
82				सरगीपाल	बटराली
83				रांधा	बटराली
84				गढ़धनोरा	बटराली
85				तुमसकोनाड़ी	बटराली
				योग – 05	
86			सिंगनपुर 16	सिंगनपुर	सिंगनपुर
87				निराछिन्दली	निराछिन्दली
88				नारना	निराछिन्दली
89				उंदरी	निरछिन्दली
				योग– 04	
90			बेड़मा 17	टोसकापाल	टोसकापाल
91				बेड़मा	बेड़मा
92				आदनबेड़ा	बेड़मा
				योग – 03	

93			सिकागांव 18	गरावण्डी	गरावण्डी
94				सिकागांव	सिकागांव
95				सालेभाट	सिकागांव
				योग – 03	
96			पीपरा 19	पीपरा	पीपरा
				योग– 01	
97			अरण्डी 20	अरण्डी	अरण्डी
98				आंवरी	आंवरी
				योग – 02	
99			खेतरपाल 21	खेतरपाल	खेतरपाल
100				चारभाटा	चारभाटा
101				पलोरा	चारभाटा
				योग – 03	
102			मस्सुकोकोडा 21	मस्सूकोकोडा	मस्सूकोकोड़ा
103				नयानार	नयानार
104				हरवाकोड़ो	नयानार
105				नवागढ़	नयानार
				योग – 04	

राजस्व ग्राम –104 , वनग्राम –01 कुल 105 ग्राम

कुल पंचायत – 43

एम. एस. परस्ते,
कलेक्टर.

जगदलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2008

क्र./1473/भू-अ/स. अ. भू-अ. 2/हल्का पुनर्ग./2008.—छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, जिला बस्तर एतद्द्वारा तहसील बड़ेराजपुर के दो ग्राम पंचायत पर एक पटवारी हल्कों को पुनर्गठन सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.मं.	प.ह.न. एवं मुख्यालय ग्राम का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4	5	6
1	बड़ेराजपुर	बड़ेराजपुर	कोरगांव 1	कोरगांव	कोरगांव
2				बैजनपुरी वन ग्राम	बैजनपुरी
3				आमागुहान वन ग्राम	बैजनपुरी
				योग — 03	
4			कोंगेरा 2	कोंगेरा	कोंगेरा
5				कोरहोबेंड़ा	कोरहोबेंड़ा
6				सोनपुर	कोरहोबेंड़ा
				योग — 03	
7			बिश्रामपुरी 3	बिश्रामपुरी	बिश्रामपुरी
				योग — 01	
8			खलारी 4	खल्लारी	खल्लारी
9				कोसमी	कोसमी
10				गोविन्दपुर वन ग्राम	कोसमी
				योग — 03	
11			पेण्ड्रावन 5	पेण्ड्रावन	पेण्ड्रावन
12				पिटेचुवा	पिटेचुवा
13				सरगीपाल	पिटेचुवा
				योग 03	
14			बाडागांव 6	बाडागांव	बाडागांव
15				मानिकपुर वन ग्राम	बाडागांव
16				कुर्रुभाट	बाडागांव
17				हात्मा	हात्मा
18				बस्तरबुडरा वन ग्राम	हात्मा
				योग — 05	
19			मचली 7	मचली	मचली
20				उडिदगांव	मचली
21				होनावडी	होनावडी
				योग — 03	

22			सलना 8	सलना	सलना
23				कैंदकेरा	कौंदकेरा
24				छोटेमालगांव	कौंदकेरा
				योग – 03	
25			पलना 9	पलना	पलना
26				मारंगपुरी	मारंगपुरी
27				चिचाड़ी	मारंगपुरी
				योग – 03	
28			पारोण्ड 10	पारोण्ड	पारोण्ड
29				खजरावण्ड	खजरावण्ड
30				मैनपुर	खजरावण्ड
				योग – 03	
31			लिहागांव 11	लिहागांव	लिहागांव
32				आमगांव	आमगांव
				योग – 02	
33			बांसकोट 12	बांसकोट	बांसकोट
				योग – 01	
34			बालेंगा 13	बालेंगा	बालेंगा
35				किवडा	किवडा
				योग – 02	
36			हरवेल उर्फ तरईबेड़ा 14	हरवेल उर्फ तरईबेड़ा	हरवेल उर्फ तरईबेड़ा
37				धामनपुरी	धामनपुरी
				योग – 02	
38			बड़ेराजपुर 15	बड़ेराजपुर	बड़ेराजपुर
39				टेंवसा	टेंवसा
40				कलगांव	टेंवसा
				योग – 03	
41			छोटेराजपुर 16	छोटेराजपुर	छोटेराजपुर
42				पांडोकी	छोटेराजपुर
43				माडौकीखरगांव	माडोकीखरगांव
44				कलगांव उर्फ कलेपाल	माडोकीखरगांव
				योग – 04	
45			कोपरा 17	कोपरा	कोपरा
46				छिन्दली	छिन्दली
				योग – 02	
47			बडबत्तर 18	बडबत्तर	बडबत्तर
48				ढोडरा	ढोडरा
49				नौकाबेड़ा	ढोड़रा
				योग – 03	

50			तितिरवण्ड 19	तितिरवण्ड	तितिरवण्ड
51				पीढ़ापाल	पीढ़ापाल
52				हल्दा	पीढ़ापाल
53				कुल्दाडीही	पीढ़ापाल
				योग -- 04	
54			गम्हरी 20	गम्हरी	गम्हरी
55				जोडेकेरा	जोड़केरा
56				करमरी	जोडेकेरा
				योग -- 03	

राजस्व ग्राम --51 , वनग्राम --05 कुल--56 ग्राम

कुल पंचायत -- 38

एम. एस. परस्ते,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 27th September 2008

No. 8018/Rules & Orders (Civil)/2008.—In supersession of the notification No. 16290-III-1-5-57-CH-23 dated 04-12-1995 issued by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur & exercising of powers conferred under Rule, 505 of M. P. & C. G. Civil Court Rules, 1961, the High Court of Chhattisgarh is pleased to accord special sanction, enhancing the limit of amount in the hands of copyist as under :—

(1)	Amount in the hand of Head Copyist at District Head Quarter	Rs. 1000/-
(2)	Amount in the hand of Copyinst at outstation	Rs. 500/-

Bilaspur, the 29th September 2008

No. 882/Confdl./2008/II-2-99/2001.—On the application dated 31-03-2008 of Shri Madhusudhan Chandrakar, Civil Judge Class-II, Kurud, District-Dhamtari requesting for change of his home District, permission is hereby accorded to change his home District from Bilaspur to Kabirdham with a direction that necessary changes be affected in all his records.

By order of the High Court,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 1st October 2008

No. 43/L.G./2008/II-2-11/2004.—Shri I. S. Uboweja, District & Sessions Judge, Janjgir-Champa is hereby granted earned leave for 10 days from 13-10-2008 to 22-10-2008 and permission to prefix holidays from 09th October to 12th October, 2008 along with permission to remain out of headquarters from 09-10-2008 to 22-10-2008.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Uboweja, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 240+05 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
GANPAT RAO, Additional Registrar.